

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 04.08.2026 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:

- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा अ0सं0 145 /26 धारा 103(1)/238 बीएनएस धारा 5(m)/6 लैंगिक अपराध बालकों का सरक्षण अधिनियम-2012 से सम्बन्धित अभियुक्त अंकत उर्फ महावीर उर्फ काड़ा पुत्र पतरौल नायक निवासी देवीपुर डेरा थाना सिकंदरा जनपद कानपुर देहात (वांछित) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना देवराहट पुलिस द्वारा अ0सं0 28/2015 धारा 302 भादवि0 से सम्बन्धित ईनामिया (25,000 रुपये) अभियुक्ता सोना पत्नी बलवान सिंह निवासी चैन का पुरवा थाना देवराहट जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना राजपुर पुलिस द्वारा अ0सं0 08/04 धारा 147/148/323/504/506/34 भादवि0 व 3(1)X एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रामऔतार पुत्र सुन्दरलाल निवासी ग्राम खोजारामपुर थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात (वारण्टी) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 231/26 धारा 331(4)/305ए बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त प्रदुम्न दुबे उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र अरूणेश कुमार उर्फ गुड्डू निवासी ओमनगर झींझक थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 16/2026 धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस व ¾ (2) पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त शेर उर्फ शिव उम्र 22 वर्ष पुत्र नरेश निवासी ग्राम मुंडेरा थाना बरौर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सट्टी पुलिस द्वारा अभियुक्त मो0 अकील पुत्र मो0 शकील निवासी ग्राम मसवानी थाना कोतवाली फतेहपुर उम्र करीब 24 वर्ष को आती-जाती महिलाओ को देखकर अभद्र टिपण्णी करना और फव्विया कसने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 43/26 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 23 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 08 व्यक्तियों, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों व थाना शिवली पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।